राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित अधिकारी (कलक्टर) सीकर

प्रारूप ''ब''

देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)

क्रमांकः—एफ.16 ( ) भू.रू./ग्रामीण क्षेत्र/राजस्व/2021/ 1736 दिनांक : 2/9/2021

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक खातेदार श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रोहल, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रोहल, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौराः—		
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम/ग्राम पंचायत रोहल, तहसील रामगढ़ शेखावाटी
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टैयर में)	:	खसरा संख्या 312/309 रकबा 0.6749 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)		खसरा संख्या 312/309 रकबा 0.6749 है0 में से 0.1925 है0 अर्थात 1925 वर्गमीटर
	टिप्पणीः (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	—
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	20.22 रू0 प्रति वर्गमीटर डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	चालान संख्या 42778870 दिनांकः 11.09.2020 राशि 15,750/— रूपये, चालान संख्या 52606065 दिनांकः 11.08.2021 राशि 23,180/— रूपये कुल राशि 38,930/— रूपये
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	—
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	:	नही
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 40 मीटर तक भूमि खसरा संख्या 311/309 रकबा 0.0350 है0 अर्थात 350 वर्गमीटर भूमि पगडण्डियां तथा रास्ते हेतु समर्पित की गई है। अतः 40 मीटर भूमि छोड़ने के बाद ही निर्माण किया जा सकेगा। (संलग्न नक्शा अनुसार)

जिला कलक्टर

11.उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी, तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
4. नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधी मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
6. इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में समर्पित की गई भूमि में निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग से जाने के लिए रास्ता चाहे जाने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से और राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहे जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8. प्रकरण में किसी प्रकार की देयता के संबंध में देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
9. राजस्थान औधोगिक विकास निगम लि0 के डिस्पोजल रूल्स 1979 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य निर्धारित सेट बैक छोड़कर ही करवाया जा सकेगा।
10. प्रदूषण नहीं फैलाया जायेगा तथा पर्यावरण संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।
11. पेट्रोल पम्प का भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण करना होगा।
12. आवेदित भूमि से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गूजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मी. की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा में 50 मी. की परधि में कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा।
13. संपरिवर्तित भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के रूप में खुला रखना होगा जिस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जायेगा।
14. संपरिवर्तित भूमि का अनुमोदित नक्शा इस संपरिवर्तन आदेश का अनिवार्य भाग होगा।
15. अनुमोदित नक्शे में दर्शायी गयी सुविधा क्षेत्र की भूमि को सार्वजनिक पार्क/सड़क इत्यादि सुविधाओं (जैसा नक्शे में वर्णित हो) के रूप में सर्वप्रथम विकसीत किया जायेगा। इसके उपरान्त ही संपरिवर्तित भूमि का बैचान किया जा सकेगा।
16. संपरिवर्तित भूमि में आधारभूत सुविधााओं यथा पानी, बिजली इत्यादि को विकसित करने के उपरान्त ही गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को संपरिवर्तित उपयेग में लिया जा सकेगा।
17. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी राज्यादेशों आदि की सभी शर्ते लागू होगी।
18. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा घोषित हरित राजस्थान योजना के तहत बाउन्ड्री के सहारे–सहारे पेड़ लगाने होगे।
19. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढ़ांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

विहित प्राधिकारी
(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः–एफ.16 (22)भू.रु/ग्रामीण क्षेत्र/राजस्व/2021/1737-44 दिनांकः 2/9/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण)विभाग,राज0 जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर।
4. उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ शेखावाटी।
5. तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत रोहल, पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर।
7. श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रोहल, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर जिला कलक्टर
सीकर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAMGARH (SEKHA)

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 07-07-2020 4:18 PM

Fee Receipt No	:	202002502000649	Receipt Date	:	07/07/2020
Name	:	VIJAY SINGH ,	Document S. No.	:	202001502000875
Address	:	0 ,ROHAL ,RAMGARH SHEKHAWATI ,SIKAR			
Document Type	:	Lease where rent is fixed and no premium is paid or delivered			
Face Value	:	₹ 390000	Evaluated Value	:	₹ 389244
Ord-Registration Fee	:	₹ 1560	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 2340	Stamp Duty	:	₹ 7800
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	₹ 12000
			Total Amount	:	₹ 12000

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 40562094 ₹ 1990 # Stamp N.A. ₹ 10010

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

B 882883

23 JUN 2020

उपकोषाधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी
सीकर (राज.)

लीज – डीड (LEASE DEED) :–

1 प्रथमपक्ष / लीजकर्ता :– मैं विजयसिह उम्र 47 साल पुत्र दोलत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी जिला (राजस्थान) ।

2 द्वतीयपक्ष लीजगृहिता :– श्री जितेन्द्र सिह शेखावात पुत्र विजयसिह शेखावात जाति राजपूत निवासी ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी हाल आबाद F3 WITE GOLD APARTMENT, 100 FEET ROAD, KANKROLI, RAJSAMAND 313324 (राजस्थान) ।

3 लीज डीड की समयावधिः–दिनांक 06 / 07 / 2020 से 05 / 07 / 2040 तक

4 लीज की सम्पति का विवरण :– राजस्थान राज्य के सीकर जिला के तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का रोहल के ग्राम रोहल में वर्तमान एन एच 52 सड़क पर सटती भूमि पुराना खेत खसरा संख्या 42 व नया खेत खसरा संख्या 309 / 50 रकबा 0.7099 हैक्टर की भूमि का मै अकेला काबिज काश्तकार खातेदार मालिक स्वामी हूं जोकि उपरोक्त भूमि खसारा संख्या 309 / 50 रकबा 0.7099 हैक्टर की भूमि मे से राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नियमो के तहत रोड़ बाउण्ड्री छोड़ते हुये मुख्य सड़क पर चौड़ाई 35 मीटर गूणा गहराई 55 मीटर कुल क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर व 0.1925 हैक्टर की भूमि सड़क से सटती हुई अन्य किसी भी प्रयोजन हेतू द्वितीय पक्ष के पक्ष में लीजडीड।

उप पंजीयक
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

बनवारीलाल शर्मा फतेहपुर मुद्रांक विक्रेता ला. 7
रजि. क्रमांक 5386 दिनांक 6/7/2000
मुद्रांक मूल्य 77,001 प्रयोजन लीज़डीड
क्रेता का नाम विजयसिंह S/o प्रेमसिंह
पता ... का नाम ...
(हस्ते के ...) भोपालगढ़/जिला ...

क्रेता /हस्ते के ह.

मुद्रांक विक्रेता के ह.

5000X1 25000
1000X2 2000
500X1 500
100X2 200 स्टा

7700 - 770 + 1540

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क) 10% रुपये 500
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख) 20% रुपये 1000

कुल योग 1500/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर
बनवारी लाल शर्मा
ला. नं. 18/JA कोर्ट परिसर, फतेहपुर (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

23 JUN 2020

उपकोषाधिकारी फतेहपुर-शेखावाटी सीकर (राज.)

K 038219

(2)

-: विस्तृत विवरण :-

मै विजयसिह उम्र 47 साल पुत्र दोलत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी जिला (राजस्थान) का हूं ।

जो कि लीजगृहिता को अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यक्ता होने के कारण लीज गृहिता ने लीजकर्ता से सम्पर्क कर उक्त उपर वर्णित सम्पदा जिसका विवरण राजस्थान राज्य के सीकर जिला के तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का रोहल के ग्राम रोहल में वर्तमान एन एच 52 सड़क पर सटती भूमि पुराना खेत खसरा संख्या 42 व नया खेत खसरा संख्या 309/50 रकबा 0.7099 हैक्टर की भूमि का मै अकेला काबिज काश्तकार खातेदार मालिक स्वामी हूं जोकि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 309/50 रकबा 0.7099 हैक्टर की भूमि मे से राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नियमो के तहत रोड़ बाउण्ड्री छोड़ते हुये मुख्य सड़क पर चौड़ाई 35 मीटर गूणा गहराई 55 मीटर कुल क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर व 0.1925 हैक्टर की भूमि सड़क से सटती हुई अन्य किसी भी प्रयोजन हेतू हेतू द्वितीय पक्ष के पक्ष में लीजडीड उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी नकल संलग्न है।

यह कि लीजकर्ता के स्वामित्व, कब्जे अधिकार की उपरोक्त सम्पदा को लीजकर्ता ने लीजग्रहिता को 20 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के तहत लीज गृहिता को लीज पर दी गई है जिस बाबत हम पक्षकारान के मध्य यह लीज निम्न शर्तो पर तहरीर की जाती है:-

उप पंजीयक रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-ग) 10% राशि 100
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20% राशि 200
कुल योग 300
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

5386 6/7/2020 7700

Presentation Endorsement

आज दिनांक 07 माह 07 सन् 2020 को 04:17 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VIJAY SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DOLAT SINGH
उम्र 47 वर्ष, जाति RAJPUT , , व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: ROHAL , Area: ROHAL , City: RAMGARH SHEKHAWATI , Pin code: 332304, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001502000875
Lease deed exceeding 15 year to 20 year

उप पंजीयक, RAMGARH (SEKHA)
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002502000649
दिनांक	07-07-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1560
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	7800
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	2340
कुल योग	12000

202001502000875
Lease deed exceeding 15 year to 20 year

उप पंजीयक, RAMGARH (SEKHA)
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

K 038220

23 JUN 2020

उपकोषाधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी
सीकर (राज.)

(3)

1. यह कि उक्त सम्पदा को लीजकर्ता द्वारा लीजगृहिता को दिनांक 06/07/2020 से आगामी 05/07/2040 (20 वर्ष) की अवधि के लिये लीज पर दी गई है। दोनो पक्षकारान की सहमती बनने पर उक्त लीज अवधि को आगे भी बढाया जा सकेगा जिसके लिये पृथक से नई शर्तो के तहत नयी लीज डीड तहरीर की जावेगी ।

2. यह कि उक्त सम्पदा को लीजगृहिता द्वारा 19,500/— अक्षरे उनीस हजार पांच सौ रूपये वार्षिक किराया की दर से लीज पर ली गई है तथा उक्त लीज राशि का भूगतान लीजगृहिता द्वारा लीजकर्ता को हर माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य अदा की जाकर रसीद प्राप्त की जाती रहेगी जिससे लीजगृहिता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती चूक नही की जावेगी ।

3. यह कि उक्त लीज राशि किराया 19,500/— अक्षरे उन्नीस हजार पांच सौ रू. प्रति वर्ष जो तय की गई है जो किराया राशि में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत राशि बढोतरी की जावेगी ।

4. यह कि उक्त सम्पदा को लीजकर्ता द्वारा या वारिसान हॉल व आयंदा को लीज अवधि के पूर्व किसी भी सुरत में लीजगृहिता से खाली नही करवा सकेगें।

Vijay

उप पंजीयक
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

रजि. क्रमांक 5386 दिनांक 6/2/2020
मुद्रांक मूल्य 77.00
क्रेता का नाम
पता
(हस्त. का नाम व पता)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर सम्बन्धित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं ... 1000/-
2. गऊ और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु ... 200/-
300/-

Endorsement of Execution

क्र.	निष्पादनकर्ता का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	निष्पादनकारी का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री VIJAY SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DOLAT SINGH , व्यवसाय Businessजाति RAJPUT House No.:0, Colony: ROHAL , Area: ROHAL , City: RAMGARH SHEKHAWATI , Pin code: 332304, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 47 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री JITENDRA SINGH SHEKHAWAT , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री VIJAY SINGH SHEKHWAT , व्यवसाय Businessजाति RAJPUT House No.:0, Colony: ROHAL HAL F3 WITE GOLD APARTMENT, 100 FEET ROAD, KANKROLI, RAJSAMAND , Area: ROHAL HAL F3 WITE GOLD APARTMENT, 100 FEET ROAD, KANKROLI, RAJSAMAND , City: RAJSAMAND , Pin code: 313324, District: RAJSAMAND, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 24 Signature :

क्रेता /हस्तां के ह

ने लेख्यपत्र Lease deed exceeding 15 year to 20 year को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना,स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 390000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 390000/- पूर्व में ------------ ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SURENDRA SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHAGIRATH SINGH जाति RAJPUT Age: 31 Add: House No.:0, Colony: ROL SABSAR , Area: rolsabsar , City: RAMGARH SHEKHAWATI , Pin code: 332304, District: SIKAR, State: RAJASTHAN	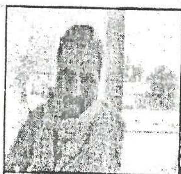		Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SALIM KHAN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HAKAM ALI KHAN जाति kaymkhani Age: 30 Add: House No.:0, Colony: ROL SABSAR , Area: rolsabsar , City: RAMGARH SHEKHAWATI , Pin code: 332304, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature

202001502000875

उप पंजीयक RAMGARH
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

Lease deed exceeding 15 year to 20 year

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
500
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

16 JUN 2020

उपकोषाधिकारी

M 608239

5. यह कि उक्त सम्पदा को लीजकर्ता द्वारा लीजगृहिता को लीज पर दी गई है उस सम्पदा में लीजगृहिता अपनी सुविधानुसार अपने स्तर पर अपने खर्चे पर अपनी आवश्यक्तानुसार कच्चा एवं पक्का निर्माण कर निर्मित करवा कर अपने पैट्रोल पंप प्रयोजन के लिये उपयोग उपभोग में ले सकेगा। जिस बाबत लीजकर्ता को किसी प्रकार की कोई आपति उज्र ऐतराज नही होगा। व उक्त भूमि का पैट्रोलपंप/अन्य के नियमानुसार भूमि रुपान्तरण एवं अन्य भूमि सम्बन्धित सभी कार्यवाही करने के लिये लीजगृहिता स्वतंत्र होगा ।

6. यह कि उक्त सम्पदा को लीजगृहिता एवं उसके मातहत कर्मचारी चाहे जिस प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने के लिये स्वतंत्र एवं सक्षम रहेगा।

7. यह कि उक्त सम्पदा को लीजगृहिता अपने पैट्रोलपंप/अन्य प्रयोजन के नाम से बिजली, पानी, टेलीफोन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सम्बन्धित विभागो से प्राप्त कर सकेगे जिनके उपयोग की राशि का भुगतान लीजगृहिता अलावा लीज राशि के सम्बन्धित विभाग मे जमा देगा

उप पंजीयक
... शेखावाटी (सीकर)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998 के अन्तर्गत
स्टॉम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क)-10% रुपये 50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख)20% रुपये 100
कुल योग 150/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

5386 6/7/2020
7700

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 390000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 7800 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 1560, सरचार्ज राशि 2340 कुल रू 11700 रसीद संख्या 202002502000649 दिनांक 07-07-2020 में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रू 7800 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001502000875

Lease deed exceeding 15 year to 20 year

उप पंजीयक
(SEKHA)
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

Registration Endorsement

आज दिनांक 07/07/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 151 में
पृष्ठ संख्या 62 क्रम संख्या 202003502100535 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 204 के
पृष्ठ संख्या 8 से 17 पर चस्पा किया गया।

202001502000875

Lease deed exceeding 15 year to 20 year

उप पंजीयक
उप पंजीयक, RAMGARH (SEKHA)
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AW 627404

उप पंजीयक (सीकर)

8. यह कि सभी प्रकार के राजकीय करो की अदायगी की जिम्मेदारी लीजगृहिता की ही होगी ।

9. यह कि समस्त प्रकार के विवादो का न्याय क्षेत्र सीकर जिला ही होगा ।

10. यह कि लीज पर ली गई सम्पदा को लीजगृहिता यदि लीजगृहिता के नाम से रिटेल आउटलेट आंवटित हो जाती है तो लीजकर्ता द्वारा लीजगृहिता को दी गई आराजी को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा कर दे देवेगा, तथा उस सुरत में लीजगृहिता उक्त लीज पर ली गई आराजी को किसी भी ऑयल कम्पनी को सब लीज /उप लीज पर आगे दे सकेगा जिस पर लीजकर्ता को किसी प्रकार का कोई उज्र आपति एतराज नही होगा ।

11. यह कि उक्त लीज प्राप्तकर्ता द्वारा लीज अवधि में लीज के आधार पर ऋण लेना चाहेगा तो किसी बैंक /संस्था से ले सकता है ।

12. यह कि लीजगृहिता द्वारा लीज पर ली गई भूमि पर किसी प्रकार की गैर कानुनी गति विधी की जाने पर लीजकर्ता द्वारा 07 दिवस का नोटिस देकर भूमि का लीजगृहिता से खाली करवाने के लिये स्वतंत्र होगा।

उप पंजीयक
शेखावटी (सीकर)

बनवारीलाल शर्मा फतेहपुर मुद्रांक विक्रेता ला. न. 18/JA
पंजि क्रमांक 5386 दिनांक 6/7/2020
मुद्रांक मूल्य 77001 / ....
क्रेता का नाम 515
पता ....
(इसके का नाम व पता ....)

क्रेता /इसके के ह. मुद्रांक विक्रेता ह.

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क) 10% रुपये 10
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख) 20% रुपये 20

कुल योग 30/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर
बनवारी लाल शर्मा
क्र. नं. 18/JA कोर्ट परिसर, फतेहपुर (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

(6)

AW 627405

अतः यह लीज डीड हम पक्षकारान ने अपनी अपनी हार्दिक इच्छा व प्रशन्ता के साथ स्टाम्प विकेता फतेहपुर के रजिस्टर कमांक 5386 दिनांक 06/07/2020 पर पांच हजार रू. का एक स्टाम्प, एक हजार रू. के दो स्टाम्प, पांच सौ रू. का एक स्टाम्प व एक सौ रू. के दो स्टाम्प जो 7,700/–रू. के स्टाम्प पर 2310 रू. के सरचार्ज पर पूर्ण होश हवास कि दुरुस्ती के साथ बिना किसी नशे पते के बिना किसी दबाव के साक्षियो के समक्ष उपस्थित में तहरीर एवं तकमील कर दी की सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे ।

स्थान :– फतेहपुर

दिनांक :– 06/07/2020

हस्ताक्षर लीजकर्ता ————

(1) साक्षी—

नाम सुरेन्द्र सिह उम्र 32 साल

पुत्र श्री भागिरथ सिह जाति राजपूत

निवासी ग्राम रोलसाहबसर

(2) साक्षी————

नाम सलीम खांन उम्र 30 साल

पुत्र श्री हाकमअली खां जाति कायमखानी

निवासी ग्राम रोलसाहबसर

हस्ताक्षर लीजगृहिता——

उप पंजीयक

फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)

...लाल आर्य फतेहपुर मुद्रांक विक्रेता ला.
क्रमांक 5386 6/7/2020
मुद्रांक ... 77001 दिनांक
क्रेता का नाम ... [illegible]
पता ... [illegible]
(हस्ते का नाम ...) [illegible]

क्रेता / हस्ते के ह.

मुद्रांक विक्रेता के ह.

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क) 10% रुपये 10
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख) 10% रुपये 20

कुल योग 30/-

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर
बनवारी लाल शर्मा
ला. नं. 18/JA कोर्ट परिसर, फतेहपुर (सीकर)